



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP9120879

6/20/2022



<https://jharbloom.jharkhand.gov.in/Application/Status/Default?SerialNo=20879&P>

जिला का नाम	धनबाद	अनुसंजल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हल्का-02	
इस्टेट का नाम	भारखण्ड	भाग	वर्तमान(VOL)	पृष्ठ संख्या वर्तमान	85	धाना न.	7	
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व धाना न	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधुत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	
20879	19	हीरापुर/7	भरिया	19/06/2022	By Sale	68 11	2568	
	/R27 2022 - 2023				Registration Dated 08/08/2020			
केला का नाम :	(SRI SAURABH SINHAपिता-SRI SATYENDRA KUMAR SINHA, जति-----, पता-HOUSING COLONY PS AND DIST DHANBAD)			जमाबंदी रैयत का नाम :	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा-पिता-देव नन्दन प्रसाद			
राजस्व कर्मचारी हल्का-02	को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनायें हस्तान्तरित।						विक्रेता का नाम :	SMT SHOBHA SINHA, पित्त-LATE JITENDRA KUMAR SINHA, जति-----, पता-HOUSING COLONY PS AND DIST DHANBAD
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है								
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है								
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है								

Signature valid

Digitally signed by

PKASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद



कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।



Duplicate Copy
20-Jun-2022

आदेश

तिथि
Jun 19 2022

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा हीरापुर थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
68	418	0 एकड़, 3 डिसमील, 0 हेक्टर

का विक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SMT SHOBHA SINHA	पिता	LATE JITENDRA KUMAR SINHA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3283 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	पिता	देव नन्दन प्रसाद

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 10 रुपये
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK
अंचलाधिकारी धनबाद